WCL
Western Coalfieds Limited

प्रगति

वेकोलि की त्रैमासिक पत्रिका

ऑक्टोबर 2023 - दिसम्बर 2023

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

www.westerncoal.in

अंतर-संगठनात्मक संबंध में वैकल्पिक विवाद निवारण का महत्व

डॉ. सुरेश डी. घरडे
उप. महाप्रबंधक(खनन)

परिचय

यह देखा गया है कि अधिकांश समय अंतर-संगठनात्मक सामंजस्यपूर्ण संबंध कड़वे और बाद में बदतर हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दो पक्षों में से किसी एक द्वारा अनुबंध की प्रक्रिया / तौर-तरीकों का पालन करने में दो संगठनों के बीच विश्वास की हानि के कारण विवादों के अनसुलझे रहने के कारण संचालन अनुबंध विफल हो जाता है। जिससे संस्था को भारी आर्थिक हानि होती है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) और सीपीएसई (ओं) और सरकारी विभाग/संगठनों के बीच वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण (एडीआर)/एडीआरएम की आवश्यकता है।

तंत्र को विवादित पक्षों पर अधिक प्रभावी और बाध्यकारी बनाने के लिए, विभिन्न हितधारकों के परामर्श से दो स्तर (संबंध) संरचना वाले सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए **प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी)** नामक एक नया तंत्र विकसित किया गया है। विवाद समाधान में आसानी के लिए वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा एक वेब पोर्टल (सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र) बनाया गया है, ताकि समिति के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रविष्टियां अपलोड की जा सकें।

1) एडीआर/एएमआरसीडी क्या है?

इसे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी के माध्यम से विवाद को सुलझाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब, दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होता है और वे कोई सौहार्दपूर्ण (दोनों को स्वीकार्य) समाधान खोजने में विफल रहते हैं और स्थिति इतनी कठिन हो जाती है कि कोई भी विवाद को हल करने के लिए एक-दूसरे से बात नहीं करना चाहता है, एडीआर / एएमआरसीडी एक मंच प्रदान करता है जहां एक स्वतंत्र मध्यस्थ दोनों पक्षों को परामर्श देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनकी संबंधित शिकायतों को समझता है और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर उनके विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करता है।

इस तथ्य को देखते हुए कि अदालतों में नियमित मुकदमेबाजी न केवल महंगी साबित हो रही है, बल्कि समय लेने वाली भी है और इसकी प्रक्रिया भी जटिल है। इसके अलावा, जब पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो अहंकार उनके बीच लड़ाई को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझदारी की तरह, अदालतों पर भी कई मुकदमेबाजी का बोझ है, जिसमें वास्तविक दावों के अलावा, तुच्छ विवाद भी उठाए जाते हैं और पक्षों को उत्पीड़न, चिंता का सामना करना पड़ता है और प्रक्रिया महंगी और लंबी हो जाती है।

यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मंच है, जबकि विवादों का फैसला अदालत के न्यायाधीशों द्वारा पक्षों द्वारा रखे गए सबूतों के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि यहां मंच का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच स्वैच्छिक और सहमति से समझौते के लिए काम करना है। उनके बीच विवाद मध्यस्थता और मध्यस्थत भी एडीआर/एएमआरसीडी का सबसे अच्छा उदाहरण है, केवल अपवाद के साथ कि मध्यस्थता में, बाध्यकारी आदेश मध्यस्थ / मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए जाने होते हैं, जबकि मध्यस्थता में, पार्टियों को उनके आगमन को सुनने के बाद उचित समझ दी जाती है विवादों और विवाद के बिंदु का पता लगाना और दृष्टिकोण केवल एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना है। ऐसा तभी होता है जब दोनों पक्ष कुछ शर्तों पर सहमत होते हैं, पार्टियों के बीच सहमति शर्तों का ज्ञापन तैयार करके विवाद का समाधान किया जाएगा।

2) एडीआर/एएमआरसीडी के प्रकार:

मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक निपटान और लोक अदालत मुख्य रूप से नागरिक प्रकृति के विवादों को सुलझाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम मंच हैं।

सीपीसी की धारा 89 में प्रावधान है कि अदालत के समक्ष मुकदमे में, यदि अदालत को पता चलता है कि विवाद को हल करने के लिए पक्षों के बीच समझौते का एक तत्व मौजूद है, तो अदालत विवाद को सुलह के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मंच / सदस्य / परामर्शदाता / के पास भेज सकती है। समिति अदालत के बाहर पक्षों के बीच समझौते की संभावना पर काम करेगी और उस स्थिति में, स्वतंत्र निष्पक्ष परामर्शदाता, अपने प्रेरक कौशल का उपयोग करके पक्षों को सुनने, उन्हें उचित समझ देने और सर्वोत्तम संभव सीमा तक हर संभव प्रयास करेगा। विवाद को हल करना है, तो वह पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर विवाद को हल करता है।

विचार मध्यस्थता अधिनियम 1996 में भी समान प्रावधान और उपाय शामिल हैं और इसी तरह, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 भी वादियों के लाभ और कल्याण के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था।

एडीआर के लाभ:

3) प्रयोज्यता:

यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई)/पोर्ट ट्रस्ट के बीच और सीपीएसई और सरकारी विभागों/संगठनों (विवादों को छोड़कर) के बीच वाणिज्यिक अनुबंधों के प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में लागू होता है। रेलवे, आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित, ऐसे विवादों या मतभेदों को एएमआरसीडी के माध्यम से समाधान के लिए किसी भी पक्ष द्वारा उठाया जाएगा।

4) संरचना:

(I) प्रथम स्तर (स्तरीय) पर, ऐसे वाणिज्यिक विवादों को एक समिति को भेजा जाएगा जिसमें प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिव शामिल होंगे, जिनमें विवादित सीपीएसई/पार्टियां शामिल हैं और सचिव-डी/ओ कानूनी मामले शामिल होंगे। दोनों संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार (एफए) उपरोक्त समिति के समक्ष विवादों से संबंधित मुद्दे का प्रतिनिधित्व करेंगे। यदि दो विवादित पक्ष एक ही मंत्रालय/विभाग से संबंधित हैं, तो उपरोक्त समिति में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव, कानूनी मामलों के सचिव-डी/ओ और सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव शामिल होंगे। ऐसे मामले में, मामले को एफए और उस मंत्रालय/विभाग के एक संयुक्त सचिव द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

इसके अलावा, सीपीएसई और राज्य सरकार के विभाग/संगठन के बीच विवाद की स्थिति में, उपरोक्त समिति में उस केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के सचिव, जिससे सीपीएसई संबंधित है, कानूनी मामलों के सचिव-डी/ओ और एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मामले का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के एफए और राज्य सरकार के विभाग/संगठन के संबंधित प्रधान सचिव द्वारा समिति के समक्ष किया जाएगा।

(II) यदि उपरोक्त समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद भी विवाद अनसुलझा रहता है, तो इसे दूसरे स्तर पर कैबिनेट सचिव को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

5) प्रक्रिया:

प्रथम स्तर (स्तर) पर, दावा करने वाला पक्ष (दावेदार) अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव के समक्ष विवाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के एफए से संपर्क करेगा। दावा करने वाले पक्ष के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव इसकी सूचना प्रतिवादी पक्ष (प्रतिवादी) के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव और कानूनी मामलों के सचिव-डी/ओ को देंगे और उसके बाद प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में बैठकें होंगी। दावा करने वाला पक्ष तथ्यों की जांच करेगा और योग्यता के

आधार पर विवाद का समाधान करेगा। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के एफए उपरोक्त समिति के समक्ष विवाद से संबंधित मुद्दों का प्रतिनिधित्व करेंगे। समिति द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने के बाद, दावा करने वाले पक्ष के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव निर्णय लिखेंगे और इस पर सचिवों और कानूनी मामलों के सचिव-डी/ओ दोनों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। निर्णय की एक प्रति दावा करने वाले पक्ष के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा कार्यान्वयन के लिए विवाद के प्रत्येक पक्ष को सूचित की जाएगी।

ऐसे मामले में जहां विवाद का एक पक्ष (प्रथम पक्ष) राज्य सरकार का एक विभाग/संगठन है, विवाद को स्वीकार करने की प्रक्रिया उपरोक्त के समान होगी, हालांकि, विवाद के समाधान के संबंध में सभी बैठकें प्रशासनिक में आयोजित की जाएंगी। दूसरे पक्ष (द्वितीय पक्ष) का मंत्रालय/विभाग (संघ), भले ही प्रथम पक्ष की स्थिति कुछ भी हो, चाहे वह दावेदार हो या प्रतिवादी। इस मामले में उपरोक्त समिति के समक्ष मुद्दों का प्रस्तुतीकरण संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के एफए और राज्य सरकार के विभाग/संगठन के संबंधित प्रमुख सचिव द्वारा किया जाएगा।

प्रथम स्तर (स्तरीय) पर सचिवों की समिति संबंधित पीड़ित पक्ष से विवाद के संबंध में लिखित संदर्भ/नोटिस प्राप्त करने के बाद 3 महीने के भीतर अपने निर्णय को अंतिम रूप देगी।

6) अपील:

प्रथम स्तर (स्तर) पर समिति के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी पक्ष प्रथम स्तर पर समिति के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर दूसरे स्तर (स्तर) पर कैबिनेट सचिव के समक्ष अपील कर सकता है। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, जिसका निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

7) मध्यस्थता खंड:

सीपीएसई, सीपीएसई, अंतर-से और सीपीएसई और सरकारी विभागों/संगठनों के बीच सभी मौजूदा और भविष्य के वाणिज्यिक अनुबंधों में एक खंड को शामिल करना सुनिश्चित करेंगे।

8) एडीआर/एएमआरसीडी के लाभ:

- एडीआर/एएमआरसीडी के पीछे का उद्देश्य और उद्देश्य वास्तव में नेक था और यह मुकदमेबाजों के हर वर्ग के लाभ के लिए है क्योंकि यह अदालत में मुकदमेबाजी की जटिल प्रक्रिया और प्रक्रिया से बचाता है।

- इससे पक्षकारों का समय बचता है और मुकदमेबाजी का भारी खर्च भी बचता है।

• पक्षकारों को स्वतंत्र मनःस्थिति में अपना पक्ष रखने के अधिक अवसर मिलते हैं और वे अपने विवाद/मामलों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और शर्तों से आश्वस्त होने पर, जिस विषय पर विवाद का समाधान किया जा रहा है, वादी उसे समाप्त करने में सक्षम होगा। विवाद और अधिकांश मामलों में, यह उन पक्षों के बीच संबंधों को भी बहाल करता है जो उनके बीच कड़वे हो गए थे।

• अंततः यह दो औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बीच अनुबंध आवश्यकताओं को पूरा करके 100% उपभोक्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करता है।

• व्यवसाय विकास और स्थिरता तथा राष्ट्र की समग्र वृद्धि सुनिश्चित करता है।

उदाहरण:
राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों और कोयला खनन उद्योगों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के बीच विवाद आम तौर पर निम्नलिखित बुनियादी मुद्दों के संबंध में क्रेडिट/डेबिट नोट पर उत्पन्न होता है, जिसे एएमआरसीडी द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाता है और प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में व्यवसाय की स्थिरता के लिए दोनों संगठनों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखा जाता है।

• लोडिंग एवं ओवरलोडिंग के तहत नमूना रहित कोयले की मात्रा पर दावा एवं निर्णय।

• भूतल परिवहन शुल्क यानी कोयला कंपनी के पिट हेड से प्रेषण बिंदु तक।

• ईंधन आपूर्ति समझौते और तीसरे पक्ष के नमूने के परिणाम और प्रासंगिक बिलिंग मुद्दों की तुलना में ग्रेड स्लिपेज।

• लोडिंग एवं ओवरलोडिंग के तहत नमूना रहित कोयले की मात्रा पर दावा एवं निर्णय।

• कम डिलिवरी मात्रा पर मुआवजा.

• वार्षिक अनुबंधित मात्रा के संबंध में कमी का दावा।

• स्टोन असेसमेंट का दावा.

• कोयले की बिना कुचली आपूर्ति।

• बयाना राशि की जब्ती.

• अंडरलोडिंग पर डायनामिक प्राइस चार्ज (डीपीसी), डेवलपमेंट चार्ज (डीएस) और सर्विस टैक्स का क्रेडिट।

• लोड समायोजन (पीसीएलए) के विरुद्ध दंडात्मक शुल्क के कारण दावा।

• लागत प्लस खानों के संबंध में प्रदर्शन प्रोत्साहन।

• डब्ल्यूआरसी शुल्क (वॉशरी ग्रेड) का रिफंड।

• एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार कोयले की आपूर्ति में विफलता यानी 34% से कम राख सामग्री वाले कोयले की आपूर्ति करना।

कोल इंडिया स्थापना दिवस पर वेकोलि को सात पुरस्कारों से नवाजा गया

01 नवम्बर, कोल इंडिया लिमिटेड के 49 वें स्थापना दिवस पर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) को स्वच्छता पखवाड़ा के लिए कॉरपोरेट अवार्ड (Corporate Award on Swachhta Pakhwada) से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली कंपनी की श्रेणी में स्टार रेटिंग के लिए कॉरपोरेट अवार्ड (Corporate Award on Star Rating – Best Performing Subsidiary) तथा सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली खुली खदान की श्रेणी में स्टार रेटिंग के लिए कॉरपोरेट (Corporate Award on Star Rating – Best Performing Open Cast Mine), में तृतीय स्थान से सम्मानित किया गया।

व्यक्तिगत पुरस्कारों में वेकोलि मुख्यालय के श्री जॉर्ज मैथ्यू को सर्वोत्कृष्ट विभागाध्यक्ष (Best HoD), माजरी क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री इलियास हुसेन शेख को सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रीय महाप्रबंधक तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री एम. के. बालुका, महाप्रबंधक (वित्त) को व्यक्तिगत उत्कृष्टता अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बेहतर क्रियान्वयन के लिए श्री नीली पुरुषोत्तम, महाप्रबंधक (ई एंड टी), श्री कल्लूरी रामकृष्ण रेड्डी, मुख्य प्रबंधक (ई एंड टी) तथा श्री वैभव कुमार यादव, सहायक प्रबंधक (ई एंड टी) को विशेष योगदान अवार्ड (Special Contribution Award) से सम्मानित किया गया।

उक्त पुरस्कार कोलकाता में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि श्री पी. एम. प्रसाद, चेयरमैन, सीआईएल, कोयला मंत्रालय के अवर सचिव द्वय श्री एम. नागराजू एवं श्रीमती विस्मिता तेज के करकमलों से सीएमडी श्री मनोज कुमार एवं विजेताओं ने ग्रहण किए। श्री मनोज कुमार ने इन उपलब्धियों का श्रेय पूरी टीम को दिया तथा उन्हें बधाई दी। कोल इंडिया स्थापना दिवस पर वेकोलि को मिले इन 07 अवार्ड्स से टीम वेकोलि में हर्ष व्याप्त है।

कोल इंडिया मुख्यालय, कोलकता, में आयोजित स्थापना दिवस के कार्यक्रम में दिए गए अवार्ड

विश्व बैंक की टीम रही वेकोलि के दौरे पर

विश्व बैंक के अधिकारियों की टीम ने 12 एवं 13 अक्तूबर, 2023 को डब्ल्यूसीएल कन्हान क्षेत्र की दमुआ तथा दतला खुली खदानों का दौरा किया। यह दौरा खदानों के लिए 'पायलट भूमि उपयोग पुनर्प्रयोजन' मॉडल की तैयारी के लिए किया गया। यह दौरा 'जस्ट ट्रांजिशन' थीम से प्रेरित था जो नई ऊर्जा विकल्प प्रदान करने एवं बंद खदानों में सामाजिक कार्यों के लिए भूमि उपयोग में लाने पर केंद्रित है।

टीम में डब्ल्यूसीएल के पूर्व सीएमडी एवं वरिष्ठ ऊर्जा सलाहकार श्री आर. आर. मिश्रा, विश्व बैंक के लीड एनर्जी और एक्सट्रैक्टिव विशेषज्ञ और जस्ट ट्रांज़िशन पर ग्लोबल लीड श्री. माइकल स्टेनली, प्रमुख पर्यावरण विशेषज्ञ श्री. वुल्फहार्ट पोहल, जीआईएस सलाहकार सुश्री. वैष्णव होनप तथा फोटो और रिकॉर्डिंग विशेषज्ञ श्री. तन्मय कोठारी, शामिल थे। इस दौरे में विश्व बैंक की टीम के साथ निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री. जे. पी. द्विवेदी उपस्थित रहे।

दौरे के उपरान्त विश्व बैंक की टीम ने 13.10.2023 को डब्ल्यूसीएल के सीएमडी श्री मनोज कुमार, निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री जे. पी. द्विवेदी एवं निदेशक तकनीकी (योजना एवं परियोजना) श्री ए. के. सिंह, से वेकोलि मुख्यालय, नागपुर में भेंट की।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर टीम वेकोलि की आदरांजलि

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर टीम वेकोलि की ओर से 02.10.2023 को आदरांजलि अर्पित की गयी।

मुख्यालय में आयोजित समारोह में निदेशक (तकीनीकी/कार्मिक) श्री जे. पी. द्विवेदी तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय मधुकर म्हेत्रे ने दोनों महान विभूतियों के छाया चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा-सुमन अर्पित कर उनके प्रति आदर व्यक्त किया।

अपने उद्बोधन में निदेशक (तकनीकी / कार्मिक) श्री जे. पी. द्विवेदी ने गांधीजी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी से आह्वान किया की बापू के अहिंसा के रास्ते पर चल कर राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे। समारोह में उपस्थित विभाग प्रमुखों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मियों ने भी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति अपना आदर व्यक्त किया। कम्पनी के सभी क्षेत्रों, इकाइयों एवं प्रतिष्ठानों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

गाँधी जयंती के अवसर पर वेकोलि में स्वच्छता के लिए विशेष मुहिम-3 की शुरुआत

गाँधी जयंती के अवसर पर वेकोलि में स्वच्छता के लिए विशेष मुहीम-3 (Special Campaign 3) की शुरुआत की गई थी। यह मुहिम 2.10.2023 से 31.10.2023 तक वेकोलि मुख्यालय के साथ सभी क्षेत्रों में जरी रही। इसके तहत वेकोलि में 33 स्थानों को स्क्रैप डिस्पोज़ल के लिए चिन्हित किया गया। साथ ही 500 फाइले तथा 2500 ई-फाइलो का निपटारा करने की शुरुआत की गई थी। विशेष मुहिम-3 के तारतम्य में विभिन्न स्थानों पर सफाई के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

वेकोलि में सतर्कता जागरूकता सप्ताह संपन्न

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) में नागरिक--ईमानदारी प्रतिज्ञा के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 संपन्न हुआ। वेकोलि मुख्यालय में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के कार्यक्रम में, मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार, सीएमडी, वेकोलि ने कर्मियों को नागरिक-ईमानदारी की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर निदेशक (तकनीकी एवं कार्मिक) श्री जे. पी. द्विवेदी, निदेशक तकनीकी (योजना एवं परियोजना) श्री ए. के. सिंह तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय मधुकर म्हेत्रे की प्रमुख उपस्थि-ति रही।

स्वागत संबोधन प्रस्तुत करते हुए मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय मधुकर म्हेत्रे ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के उपलक्ष्य में आयोजित विविध कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा ईमानदारी वेकोलि के मूल सिद्धांत है तथा इन्हें बल प्रदान करने हेतु सतर्कता विभाग निरंतर कार्यशील रहता है। मुख्य सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार वेकोलि में 16 अगस्त से 15 नवंबर, 2023 तक 3 माह विशेष सतर्कता मुहिम चलाई गई, जिसके तहत जनहित प्रकटीकरण और सूचनादाताओं की सुरक्षा संकल्प सम्बन्धी जागरूकता, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रणालीगत सुधार आदि पर कार्य किया गया।

वेकोलि के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि ईमानदारी भारत देश की संस्कृति का अविभाज्य अंग है तथा इस सिद्धांत को अपना कर ही हम आगे बढ़ सकते है। उन्होंने कहा कि कंपनी के दैनिक कार्यों में पारदर्शिता तथा ईमानदारी बरतने से न केवल हम कार्य को नियमानुसार पूर्ण करते है बल्कि राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाते है।

अवसर विशेष के लिए प्राप्त माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदेश का वाचन महाप्रबंधक सर्वश्री दिपक रेवतकर, एम के बालुका एवं एस. के. बत्रा ने किया।

कार्यक्रम का संचालन तथा धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती अनुपमा टेंभुरर्निकर, वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक) ने किया। समारोह में विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मी गण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यूट्यूब के सीधे प्रसारण के माध्यम से सभी क्षेत्रों से टीम वेकोलि के सदस्य भी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम से जुडे।

उल्लेखनीय है कि कंपनी मुख्यालय तथा क्षेत्रों में सप्ताह पर्यंत विविध कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया था।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर वेकोलि की आदरांजलि

भारत के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर टीम वेकोलि द्वारा आदरांजलि अर्पित की गई।

मुख्यालय में आयोजित समारोह में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार तथा निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) श्री ए. के. सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा-सुमन अर्पित कर उनके प्रति आदर व्यक्त किया।

कोल इंडिया लिमिटेड के 49 वें स्थापना दिवस के आलोक में उत्कृष्ट कर्मियों का सम्मान समारोह

दिनांक 03.11.2023 को वेकोलि मुख्यालय स्थित सांस्कृतिक भवन में उत्कृष्ट कर्मियों का सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक श्री मनोज कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री कुमार ने सभी को कोल इंडिया स्थापना दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि वेकोलि तेजी से अपने वार्षिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक के कोयला उत्पादन, कोयला प्रेषण, ओवरबर्डन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे अपने संबोधन में नई खनन तकनीकी के इस्तेमाल, कोयले की गुणवत्ता, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी के अंतर्गत किए गए कार्य, Project – TARASH, मिशन सेहत की उपलब्धियां आदि के विषय पर बात की।

निदेशक (तकनीकी/कार्मिक) श्री जे. पी. द्विवेदी ने स्वागत भाषण दिया। तत्पूर्वी, सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर झंकार महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती अनीता अग्रवाल, उपाध्यक्षा श्रीमती इंदू सिंह, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) श्री ए. के. सिंह, संचालन समिति सदस्य, भूतपूर्व निदेशक, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मी गण उपस्थित रहे। तत्पश्चात कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। उपरांत, कर्मियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम का संचालन तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री मिलिंद चहांदे, प्रबंधक (जनसंपर्क) ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र-गान के साथ हुआ।

वेकोलि में धनतेरस के अवसर पर पूजा-अर्चना

धनतेरस के अवसर पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार, निदेशक (तकनीकी एवं कार्मिक) श्री जे. पी. द्विवेदी, निदेशक तकनीकी (योजना एवं परियोजना) श्री ए. के. सिंह तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय मधुकर म्हेत्रे ने दिनांक 10.11.2023 को लेखा विभाग के कैश सेक्शन में लक्ष्मीजी की पूजा अर्चना कर पूरी कंपनी, सभी कर्मियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की।

महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफ़ओ श्री एम. के. बालुका के संयोजन में संपन्न इस आराधना में बड़ी संख्या में वेकोलि के साथियों ने पूजा में भाग लिया। सभी ने एक दूसरे को धनतेरस एवं दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दीं।

वेस्टर्न कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड में

विक्रेता विकास कार्यक्रम

वेकोलि मुख्यालय में दिनांक 20 एवं 21 नवंबर, 2023 को एमएसएमई-डीएफओ नागपुर एवं डब्ल्यूसीएल के संयुक्त सौजन्य से विक्रेता विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दो दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में वेकोलि के सीएमडी श्री मनोज कुमार मुख्य अतिथि तथा एमएसएमई के निदेशक श्री पी. एम. पर्लेवार तथा सयुक्त निदेशक डॉ. वी. आर. शिरसाट विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन – महिला विंग की अध्यक्षा श्रीमती रश्मि कुलकर्णी तथा दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (डिक्की) के अध्यक्ष श्री गोपाल वासनिक की विशेष उपस्थिति रही।

समारोह के दौरान अपने संबोधन में सीएमडी श्री मनोज कुमार ने भारत सरकार की 'लोक खरीद नीति' का उल्लेख करते हुए वेकोलि में एमएसई से की जा रही खरीदी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वेकोलि का कुल 79.45% खरीदी, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से की जा रही है। इस में से महिला उद्यमियों से 9.71% खरीदी की जा रही है। जेम पोर्टल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वेकोलि में इस वित्तीय वर्ष में जेम पोर्टल के माध्यम से 12.11.23 तक कुल 4804.33 करोड़ रुपए की खरीदी की गई है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से की जा रही खरीदी प्रतिवर्ष बढ़ रही है तथा आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित विक्रेताओं को वेकोलि के साथ जुड़ने का आह्वान किया।

एमएसएमई के निदेशक श्री पी. एम. पर्लेवार ने अपने संबोधन में भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की भागीदारी पर विस्तार से बात की गई। जेम पोर्टल की उपयोगिता बताते हुए उन्होंने विक्रेताओं को बदलते परिपेक्ष्य में गुणात्मक पहलुओं पर अग्रसर रहने को कहा। उन्होंने वेकोलि में 'लोक खरीद नीति' के अनुपालन की सराहना की।

उद्घाटन समारोह में एमएसएमई के संयुक्त निदेशक डॉ. वी. आर. शिरसाट, विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन – महिला विंग की अध्यक्षा श्रीमती रश्मि कुलकर्णी तथा दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (डिक्की) के अध्यक्ष श्री गोपाल वासनिक ने भी संबोधित किया।

विक्रेता विकास कार्यक्रम में वेकोलि की खरीदी प्रक्रिया, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जेम पोर्टल की प्रणाली, वेकोलि स्टोर्स की आवश्यकताएं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, आदि के विषय पर सत्रों का समावेश था।

वेकोलि में कोल इंडिया अंतर कंपनी पॉवरलिफ़्टिंग, वेटलिफ्टिंग एवं बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता 2023-24 संपन्न

डब्ल्यूसीएल की टीम विजेता, एससीसीएल की टीम रही उप-विजेता

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय में दिनांक 04 से 06 दिसंबर, 2023 तक "कोल इंडिया अंतर कंपनी पॉवरलिफ़्टिंग, वेटलिफ्टिंग एवं बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता 2023-24" का आयोजन किया गया था। टूर्नामेंट में डब्ल्यूसीएल की टीम विजेता तथा एससीसीएल की टीम रही उप-विजेता रही।

टूर्नामेंट में एमसीएल के श्री संग्राम मुंडे 'मिस्टर कोल इंडिया' बने। साथ ही, एसईसीएल के श्री विष्णु प्रसाद ने स्ट्राँग मैन ऑफ़ कोल इंडिया, सीआईएल की सुश्री सूमिता लाहा ने स्ट्राँग वूमेन ऑफ़ कोल इंडिया तथा एनसीएल के श्री अनूप कुमार ने बेस्ट लिफ़्टर ऑफ़ कोल इंडिया का ख़िताब जीता। इस प्रतियोगिता में सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था।

प्रतियोगिता के अंतिम दिवस पर समापन एवं पारितोषिक वितरण समारोह में वेकोलि के सीएमडी श्री मनोज कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहें। विशिष्ट अतिथि के रूप में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी/कार्मिक) श्री जे पी द्विवेदी, निदेशक तकनीकी (योजना एवं परियोजना) श्री ए. के. सिंह तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय मधुकर म्हेत्रे उपस्थित थे।

सीएमडी श्री मनोज कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि शारीरिक तथा मानसिक सबलता के लिए खेल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से सभी में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तथा अच्छे खिलाड़ियों को बेहतर करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने विजेताओं को अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी और अन्य टीमों को भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रेरित किया।

निदेशक (तकनीकी/कार्मिक) श्री जे. पी. द्विवेदी द्वारा स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया गया तथा सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी गई ।

संचालन समिति के सदस्य श्री फ्रांसिस दारा ने भी अपने उद्बोधन में विजेता तथा उप-विजेता खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी।

सभी विजेता टीमों एवं खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा मेडल एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के संचालन समिति एवं कल्याण मंडल के सदस्य प्रमुखता से उपस्थित रहे। दर्शक दीर्घा में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री मिलिंद चहांदे, प्रबंधक (जनसंपर्क) ने किया।

वेकोली के पूर्व सीएमडी श्री मनोज कुमार
'मिस्टर कोल इंडिया' को पुरस्कार प्रदान करते हुए

विप्स डब्लूसीएल को मिला बेस्ट एक्टिविटी अवार्ड

विप्स डब्लूसीएल द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण के तारतम्य में विशेष कार्य किए गए है। इन में महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता शिविर, रक्त दान शिविर, योगा शिविर, पोषण सम्बन्धी जागरूकता, यूटेराइन कैंसर स्क्रीनिंग शिविर आदि का आयोजन शामिल है। इन कार्यों के साथ ही वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय योगदान, स्कूली बच्चों में सामग्री का वितरण, महिला दिवस, नर्सेज डे, मदर्स डे के उपलक्ष में कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यों का भी समावेश है।

वुमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स), डब्लूसीएल को वर्ष 2022-23 के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए 'बेस्ट एक्टिविटी अवार्ड' से नवाज़ा गया। यह पुरस्कार, दिनांक 09.12.2023 को छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आयोजित, विप्स के 31वे पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन में एसईसीएल के सीएमडी डॉ. पी. एस. मिश्रा एवं रायगढ़ की एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीमती सुरेशा चौबे के द्वारा प्रदान किया गया। विप्स डब्लूसीएल की ओर से अध्यक्षा (पश्चिम क्षेत्र) श्रीमती अनुपमा टेमुर्णीकर, कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुजाता सरमुकद्दम, को-कोऑर्डिनेटर श्रीमती मेधा हरदास, सचिव सुश्री अंकिता घोष, कोषाध्यक्ष श्रीमती ज्योति वर्मा, संयुक्त सचिव द्वय श्रीमती ज्योति हुमने एवं सुश्री पूजा शाहदानी, संयुक्त कोषाध्यक्ष सुश्री वर्षा पुडके, कार्यकारिणी सदस्य सुश्री कावेरी मोटघरे एवं सुश्री ख्याति महातो तथा सदस्यों ने ग्रहण किया।

पुरस्कार जीतने के उपरान्त, विप्स डब्लूसीएल की टीम ने सीएमडी, डब्लूसीएल, श्री मनोज कुमार से भेंट कर उन्हें इस पुरस्कार एवं अपने कार्यों की जानकारी दी। श्री मनोज कुमार ने विप्स डब्लूसीएल को बधाई देते हुए उनके द्वारा वर्ष भर किए सकारात्मक कार्यों को सराहा। अपने संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था के उत्थान में महिलाओं की भूमिका अहम होती है। अतः उन्होंने सबसे अपना उत्कृष्ट कार्य जारी रखने को कहा। इसी क्षेत्रीय सम्मेलन में डब्लूसीएल मुख्यालय की श्रीमती स्वाति सक्सेना को स्लोगन प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

डब्ल्यूसीएल की दो खदानों को स्टार रेटिंग अचीवर्स पुरस्कार से नवाज़ा गया

कोयला मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए डब्ल्यूसीएल की अदासा यूजी टू ओसी तथा वर्ष 2020-21 के लिए मुँगोली खदान को स्टार रेटिंग अचीवर्स पुरस्कार से नवाजा गया। उक्त अवार्ड माननीय कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी के करकमलों से नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रदान किए गए।

डब्ल्यूसीएल की ओर से सीएमडी श्री मनोज कुमार, वणी क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री आभाश चंद्र सिंह तथा नागपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री सुनील कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किए।

इस कार्यक्रम में कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीणा, अपर सचिव श्री एम नागराजू तथा कोल इंडिया चेयरमैन श्री पीएम प्रसाद की विशिष्ट उपस्थिति रही।

सीएमडी श्री मनोज कुमार ने इन उपलब्धियों का श्रेय पूरी टीम- डब्ल्यूसीएल को दिया तथा सभी को बधाई दी।

ज्ञात हो कि कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला एवं लिग्नाइट खदानों को सात व्यापक मॉड्यूलों - खनन प्रचालन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं बेस्ट प्रैक्टिस का समावेश, आर्थिक प्रदर्शन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, श्रमिक संबंधित अनुपालन और सुरक्षा एवं संरक्षण, के आधार पर देश भर की सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की कोयला एवं लिग्नाइट खदानों को स्टार रेटिंग दी जाती है। प्रत्येक खदान की उपलब्धियों का समग्र रूप से मूल्यांकन करते हुए, स्टार रेटिंग फाइव स्टार से नो स्टार तक के स्तर पर प्रदान की जाती है।

वेकोलि की माइन रेस्क्यू टीम अखिल भारतीय खदान बचाव प्रतियोगिता में ओवर-ऑल दूसरे स्थान पर

वेकोलि की माइन रेस्क्यू टीम ने 10 से 15 दिसंबर 2023 तक रामागुंडम में आयोजित 52 वीं अखिल भारतीय खदान बचाव प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन करते हुए ओवर-ऑल दूसरा स्थान प्राप्त किया। उच्च प्रबंधन ने वेकोलि मुख्यालय में इस टीम से मुलाकात की। सीएमडी, श्री मनोज कुमार ने टीम के सभी सदस्यों को जीत की बधाई एवं भविष्य में भी उम्दा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सफलता दैनंदिन रेस्क्यू कार्यों को बेहतर बनाने में प्रेरक साबित होगी। इस अवसर पर निदेशक (तकनीकी एवं कार्मिक) श्री जे. पी. द्विवेदी, निदेशक तकनीकी (योजना एवं परियोजना) श्री ए. के. सिंह एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के तकनीकी सचिव श्री तरुण कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। सभी ने रेस्क्यू टीम को बधाई दी। उल्लेखनीय है की, "52वीं अखिल भारतीय खदान बचाव प्रतियोगिता" में पूरे भारत से 25 टीमों - कोयला क्षेत्र से 16 और गैर-कोयला क्षेत्र से 9 टीमों ने भाग लिया था।

प्रतियोगिता में वेकोलि की दो टीमों ने भाग लिया (टीम ए और टीम बी)।

वेकोलि की टीमों ने निम्नलिखित पुरस्कार जीते :-

ओवर-ऑल द्वितीय : वेकोलि टीम- A
ओवर-ऑल चतुर्थ : वेकोलि टीम- B
रेस्क्यू एवं रिकवरी - तृतीय: वेकोलि टीम- B
एफएबी ड्रिल - द्वितीय: वेकोलि टीम- B
एफएबी ड्रिल - तृतीय: वेकोलि टीम- A
फर्स्ट ऐड टेस्ट - तृतीय: वेकोलि टीम- B
टर्न आउट एवं ड्रिल - द्वितीय: वेकोलि टीम- A
सर्वोत्कृष्ट कप्तान: श्री टी रमेश, वेकोलि टीम- A

- कोल इंडिया की टीमों में वेकोलि की टीम ओवरऑल प्रथम स्थान पर रही। यह उपलब्धि उसने पिछली पांच प्रतियोगिताओं में हासिल की है।

- अपनी टीम के अलावा वेकोलि भारत की 9 अन्य खनन कंपनियों (निजी और पी.एस.यू दोनों) को बचाव प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

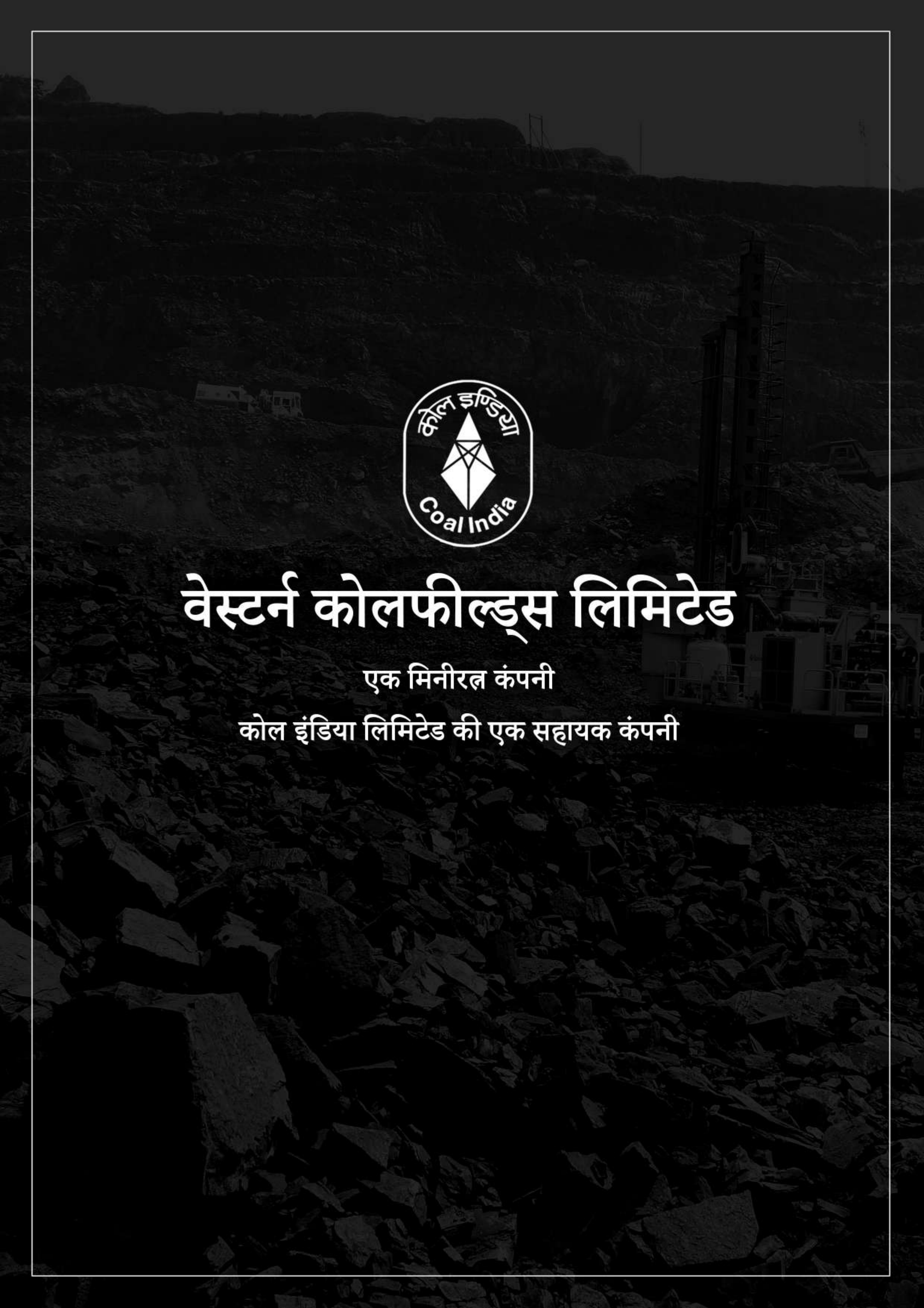

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कंपनी

कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी